अध्याय 4 – उपसंहार एवं अनुशंसाएँ

4.1 उपसंहार

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स), वस्त्र मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना, वर्ष 1999–2000 में वस्त्र उद्योग की मशीनरी के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति के माध्यम से सभी क्षेत्रों/खण्डों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रारम्भ की गई। तदनन्तर वर्ष 2007 (एम–टफ्स), 2011 (आर–टफ्स) एवं 2013 (आर आर–टफ्स) में योजना को परिवर्तित किया गया। 01 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2014, के दौरान मंत्रालय ने ₹ 18,580.45 करोड़ की राजसहायता टफ्स के अंतर्गत निर्मुक्त की।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स) की निष्पादन लेखापरीक्षा ने उद्घाटित किया कि:

- किसी योजना के सूत्रीकरण के लिए समस्या के परिमाण को सम्बोधित करना योजना का मूल उद्देश्य है। योजना के मूल्यांकन के लिए संबंधित लक्ष्यों/तय मानदण्डों को चिन्हित किया जाना चाहिये। तथापि मंत्रालय में मशीनरी के अप्रचलन की समस्या के परिमाण, जिसे योजना के द्वारा संबोधित किया जाना था, को दर्शाने वाले कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। योजना के विभिन्न चरणों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मानदण्डों का स्तर और वास्तविक रूप से प्राप्त किए गए आधुनिकीकरण की मात्रा एवं डिग्री से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं थे।

- XI पंचवर्षीय योजना में ₹ 1,50,600 करोड़ के निवेश के लक्ष्य के विरूद्ध केवल ₹ 1,31,228 करोड़ के निवेश ही हो पाए। निवेश को आकर्षित करने में यह कमी वित्तीय आबंटन में ₹ 10,273 करोड़ से ₹ 15,404 करोड़ की वृद्धि के बावजूद थी।

- भविष्य की प्रतिबद्ध देनदारियों के लाभार्थी–वार एवं बैंक–वार ब्यौरे मंत्रालय के पास नहीं थे।

- कुल 22,998 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 3,231[17] नमूने चुने जिनमें निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

[17] हालांकि केवल 2,831 मामलों की लेखापरीक्षा की गई क्योंकि 400 मामलों के रिकार्ड उपलब्ध नही हो पाये।

(i) अयोग्य लाभार्थियों को राजसहायता प्रदान करना (129 मामलों में ₹ 46.96 करोड़);

(ii) अयोग्य निवेशों को राजसहायता प्रदान करना (193 मामलों में ₹ 52.87 करोड़);

(iii) लाभार्थियों को अधिक भुगतान (40 मामलों में ₹ 6.42 करोड़); तथा

(iv) लाभार्थियों के खातों में राजसहायता जमा करने में देरी (172 मामलों में 1 से 1509 दिनों की देरी)।

- टफ्स एक प्रतिपूर्ति योजना थी, तथापि वर्ष 2009–10 में, ₹ 121.45 करोड़ की राशि एफ आई द्वारा, ली गई राजसहायता की अधिकता के आधार पर या अयोग्य लाभार्थियों को अदा करने के आधार पर, लौटाई गई जो कि एफ आई द्वारा दावों की सही जाँच में कमी को दर्शाता है।

- एफ आई के कार्य की निगरानी मंत्रालय द्वारा कमजोर थी। निगरानी पूर्ण रूप से एफ आई के लेखापरीक्षा के संगठन और उसकी निगरानी तंत्र पर निर्भर थी।

- मंत्रालय में एफ आई के द्वारा उसके निर्देशों के पालन की जाँच करने का कोई तरीका नहीं था। वर्ष 2014 से पूर्व, जाँच के तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया था।

4.2 अनुशंसाएँ

1. भविष्य में इस योजना की रूपरेखा तैयार करते समय मंत्रालय को उद्योग में अप्रचलन की समस्या के परिमाण का खण्ड–वार मूंल्याकन करने का प्रयास करना चाहिये और प्राप्त किये जाने वाले मापदण्डों को स्थापित करना चाहिये।

2. मंत्रालय योजना की खण्ड–वार निगरानी पर विचार करे, जिससे प्रत्येक खण्ड की प्रगति पर पैनी नजर रखी जा सके।

3. मंत्रालय को लाभार्थी–वार प्रतिबद्ध देनदारियों का अपना डाटा रखना चाहिये।

4. मंत्रालय को भविष्य में उपरोक्त कार्यान्वयन संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए एफ आई को अपनी सम्यक उद्यम व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्देश देना चाहिए।

5. मंत्रालय को अपनी ओर से निरीक्षण कराने पर विचार करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि एफ आई राजसहायता योग्य लाभार्थियों/निवेशों को देने हेतु आवश्यक सम्यक उद्यम का पालन कर रहे हैं।

6. मंत्रालय को अपने निगरानी तंत्र को सक्रिय करना चाहिए ताकि यदि आवश्यकता हो तो मध्यावधि सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

दिनांक: 11 दिसम्बर 2015
स्थान: नई दिल्ली

(माला सिन्हा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय)

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक: 14 दिसम्बर 2015
स्थान: नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक